30-11-18 | पत्रावली पेश। उपस्थित अधिवक्ता वादी। प्रतिवादी सं. 1, 4 व 6 बावजूद तामील अनुपस्थित एवं प्रतिवादी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से हो चुकी है। जो प्रतिवादी 7, 8, 9, 10, 11 इनकी तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से करवाई गई है। जिनको भी काफी समय हो चुका है। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद ना तो स्वयं उपस्थित हुए एवं ना ही इनकी ओर से कोई और उपस्थित हुआ। अतः प्रतिवादीगण 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश किये एवं प्रदर्श डाले गए। बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली ~~[illegible]~~ वास्ते आदेश दिनांक 5/12/18 को पेश हो।

नि. छाजूराम
महावीर
सवाई सिंह

5/12/18 | वकील वादी उपस्थित। दौराने बहस वकील वादी ने बताया कि वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। पक्षकारान के मध्य दिनांक 25-9-77 को एक आपसी रजामन्दी भूमि बाबत हुई थी। जिसकी लिखावट स्टाम्प पेपर पर की गई थी। जिस पर सभी के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी मौजूद है। जिसकी प्रति पेश की है। उसी अनुसार नामान्तरण दर्ज कराने बाबत दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा भी पेश किया है। अतः राजीनामा अनुसार वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपसी रजामन्दी लिखावट Ex2A के अवलोकन से पाया गया कि यह आपसी रजामन्दी लिखावट पक्षकारान के मध्य दिनांक 25-9-77 को लिखी गई है जिसमे वाद पत्र मे अंकित भूमि खसरा का वर्णन है एवं इन्ही बाबत लिखी गई है। खसरा गिरदावरी Ex4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी के पिता का नाम दर्ज है एवं इन्ही के नाम से गिरदावरी चली आ रही है जो सम्वत 2008 से 2012 व 2013 से 2019 की पेश की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान खेवट प्रदर्श 3 है। आपसी रजामन्दी से बांटी भूमि के अनुसार एवं वाद मे अंकित अनुसार वादी ने अपने हिस्से मे आवासीय मकानात बना रखे है एवं काबिज है। यह बात साक्ष्य वादी मे प्रस्तुत शपथ पत्र सवाई सिंह, महावीर व छाजूराम से भी साबित होती है। एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों से वाद में अंकित तथ्यों को बल मिलता है एवं पुष्टि होती है

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... मुकाम ....

.... बनाम ....

.... नं. .... सन् ....

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
वादी तथा प्रतिवादी सं 2/1 लगायत 2/6 एवं 3/1 लगायत 3/5 ने न्यायालय में दिनांक 14-11-2017 को जरिये वकील उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यो को जरिये राजीनामा स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण का बावजूद तामिल अनुपस्थित रहना एवं उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना इससे यह प्रतीत होता है कि वो भी वाद पत्र में अंकित तथ्यो से सहमत है वरना उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते। प्रदर्श P4 खसरा गिरदावरी से कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रो से वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है एवं वाद पत्र को बल मिलता है। इस प्रकार अन्य रिकार्ड व राजीनामा के अवलोकन के पश्चात वादी का वाद मुताबिक राजीनामा के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद बरूपे राजीनामा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांक 14-11-2017 डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। (हस्ताक्षर) (जगदीश प्रसाद गौड) (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना	